CNR NO UPDE 0100 5248 2025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2401/2025

बृजेन्द्र सिंह उर्फ छोटे उर्फ विजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र मोदनारायण सिंह
साकिन- रोपन छपरा, थाना- लार, जिला- देवरिया।

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या- 222/2025,
धारा- 115(2),117(3),125,126(2),352,351(2) भा.न्या.सं.
थाना- लार, जनपद- देवरिया।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **बृजेन्द्र सिंह उर्फ छोटे उर्फ विजेन्द्र प्रताप सिंह**, जो अपराध संख्या- 222/2025, धारा- 115(2),117(3),125,126(2),352,351(2) भा.न्या.सं., थाना- लार, जिला- देवरिया के मामले में नामजद एवं वांछित है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथकर्ता- बृजेनद्र सिंह उर्फ छोटे उर्फ विजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र है।

3. प्रथम सूचनाकर्ती श्रीमती प्रभा सिंह द्वारा थाना लार, जिला देवरिया में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया कि उसके परिवार के साथ दिनांक 01 जून 2025 को उसके ही घर पर जानलेवा हमला किया गया है। वह, उसके पति एवं उसका बेटा दिनांक 01.06.2025 को दोपहर लगभग 2:00 बजे गोरखपुर से अपने गाँव स्थित घर पहुँचे। ये लोग सी.सी. टी.वी., इन्वर्टर और अन्य विद्युत सामाग्री खरीद कर लाये थे। घर में बिजली मिस्त्री वायरिंग का काम कर रहा था और सी.सी. टी.वी. टेक्नीशियन छत की रेलिंग पर कैमरे का काम कर रहा था। लगभग 5:30 बजे, जब अंधेरा होने लगा था तब आकाश प्रताप सिंह तेज रफ्तार से अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेकर आया और प्रथम सूचनाकर्ती के मुख्य द्वार के सामने गाड़ी खड़ी करके रास्ता रोक दिया, जिससे वे अपनी कार लेकर बाहर न आ सके। वह सी.सी. टी.वी. मिस्त्री को गालियाँ देने लगा, जिसने अपनी बाईक प्रथम सूचनाकर्ती के घर के बाहर खड़ी की थी। जब मिस्त्री नीचे आकर अपनी बाईक हटाने लगा, यह सोचकर कि शायद आकाश को रास्ता चाहिए तभी आकाश ने कार की खिड़की नीचे की और सी.सी. टी.वी. टेक्नीशियन को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तेरा हाथ काट दूंगा, अगर इनके घर में काम किया तो। शोर सुनकर प्रथम सूचनाकर्ती के पति, जो बरामदे में खड़े थे, ने आकाश को

शांत रहने को कहा और बताया कि मिस्त्री ने अपनी बाईक हटा ली है, अब क्या समस्या है। यह सुनते ही आकाश ने गाड़ी तेजी से निकाली और गुस्से में घर के बरामदे में घुसकर उसके पति का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उसका बेटा, जो ऊपर छत पर था, पिता को पिटता देख बीच-बचाव के लिए नीचे आया तो आकाश ने उसकी गर्दन पकड़ ली और गला दबाने लगा। तभी आकाश का पिता बृजेन्द्र सिंह उर्फ छोटे और उसकी माँ पूनम भी मौके पर पहुँचे। छोटे प्रथम सूचनाकर्ती के बेटे के सीने पर बार-बार मुक्के और कोहनी से मारने लगे, जबकि पूनम ने उसके पति के सिर पर स्टील की बाल्टी से वार किया। किसी तरह उसके पति और बेटा उनके चंगुल से छूटे तभी आकाश ने उसके बेटे के सिर पर मारने की नीयत से ईंट उठायी। दो गाँव वाले बीच-बचाव करने आए और उसके हाथ से ईंट खींच लिए। फिर आकाश मुक्के से बेटे के सिर व आँख पर मारने लगा, जिससे चोट आयी। छोटे ने धारदार हथियार से उसके बेटे के गले, आँख और हाथ पर वार किया। आकाश वहाँ से चिल्लाते हुए की रुक प्रधान आदमी लेके आवत बा, वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही छोटू ने बंदूक निकाल ली और जान से मारने की धमकी दी कि तेरे पति व बेटे को गोली से उड़ा दूंगा। उसके बेटे ने तुरंत 112 नंबर पर तीन बार फोन किया (इवेंट आईडी: P010625XXXXX, PRV UP32DG1469) उसके पुत्र ने 112 नंबर से एम्बुलेंस लाने को कहा। थोड़ी देर बाद आकाश, ग्राम प्रधान दीपेन्द्र सिंह, विवकी पुत्र गिरिजा और 4-5 अन्य सहयोगियों के साथ वापस आया और उसके पति पर दोबारा हमला किया और ईंट, लात, मुक्के एवं धारदार हथियार से मारने लगे। उन्होंने उसके पति की जान लेने की नीयत से पेट, छाती, सिर व नाक पर बुरी तरह से मुक्के मारे और लात मारे। आकाश बार-बार ईंट उठाकर फेंकने लगा कि उसके पति व बेटे को लग जाए। फिर प्रधान दीपेन्द्र सिंह ने उसके पति का हाथ पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके और तभी गाँव का विक्की पुत्र गिरिजा आया और उसके पति के सीने पर लातें मारने लगा। आकाश ने एक ईंट उठायी और उसके पति की कलाई कूच दी और पूरी ताकत से फिर फेंकी, जो उनके सीने पर मारने के लिए थी लेकिन हाथ पर लगी और उनकी बांयी बांह पूरी तरह से टूट गई और सुन्न हो गई। इस गंभीर चोट से उसके पति मौके पर ही अचेत हो गए। प्रथम सूचनाकर्ती ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसे भी गालियाँ दी गई और थप्पड़ मार के गिरा दिए और आकाश व छोटे ने उसके साथ अभद्रता की और बाकी लड़कों ने उसे मारा। आकाश लड़कों से चिल्ला के बोलने लगा, आज इन सबको खत्म कर देना है, इनमें से कोई बच के न निकल पाए तभी 112 नंबर पुलिस की गाड़ी आयी और सिपाही देवेन्द्र ने उसके पति की हालत देख, उसके बेटे से कहा कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाएं और बाद में एफ.आई.आर. दर्ज कराएं। प्रथम सूचनाकर्ती का बेटा जो खुद भी घायल था, किसी तरह उसके पति को गाड़ी से पी.एच.सी. लार लेकर गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें देवरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंभीर हालत देखते हुए वहाँ से उन्हें बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। एम्बुलेंस से देवरिया से उसके पति गोरखपुर आए। चूंकि दिन रविवार का था और मिनि ऑटो उपलब्ध

नहीं थी इसलिए उसके बेटे ने उन्हें शिशोदिया अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन स्थिति बिगड़ने पर 5 जून को MAX हॉस्पिटल साकेत (दिल्ली) ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बतायी और तुरंत ऑर्मी हॉस्पिटल RR रेफर किया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि सिर, हाथ व कनपटी पर चोटें इतनी गम्भीर हैं कि जीवन को खतरा है और उसके पति पिछले 10 दिनों से ICU में भर्ती हैं। इस जानलेवा हमले से प्रथम सूचनाकर्ती और उसका पूरी परिवार खौफजदा है, अतः पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं। स्थिति की गंभीरता एवं उसके पति के स्वास्थ्य को देखते हुए वह थाने पर आकर एफ.आई.आर. करने में असमर्थ है। आकाश के घर पर लगे सी.सी. टी.वी. की फुटेज को तुरंत सुरक्षित करने, जिससे कोई छेड़छाड़ न करे एवं गाँव में लगे सी.सी. टी.वी. फुटेज भी खंगाली जाए। अतः उपरोक्त सभी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए आकाश प्रताप सिंह, बृजेन्द्र सिंह उर्फ छोटे, पूनम, प्रधान दीपेन्द्र सिंह, विक्की पुत्र गिरिजा और अन्य सहयोगियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर, सख्त कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग की गई।

4. प्रथम सूचनाकर्ती के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 24.06.2025 को अभियुक्तगण आकाश प्रताप सिंह, बृजेन्द्र सिंह उर्फ छोटे, पूनम देवी, दीपेन्द्र सिंह, विक्की एवं 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना- लार, जिला- देवरिया में अपराध संख्या- 222/2025, धारा- 191(2),115(2),352,351(2), 109(1),125,126(2) भा.न्या.सं. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वह निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 23 दिन विलम्ब से दर्ज कराया गया है इसका कोई सटिक स्पष्टीकरण नहीं है जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी 06 किलोमीटर है। रपट पहले धारा- 191(2),115(2),352,351(2),109(1),125,126(2) भा.न्या.सं. दर्ज करायी गई थी, जिसे बाद में चिकित्सा तथ्यों के आधार पर धारा 109(1) भा.न्या.सं. को धारा- 117(2) भा.न्या.सं. में परिवर्तित कर दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रारम्भिक अतिरंजित और असत्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में सह-अभियुक्त के रुप में नाम दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष, विशिष्ट या ठोस आरोप प्रार्थी/अभियुक्त पर नहीं लगाया गया है। पुलिस की उपस्थिति में भी वादिनी व उसके परिवार द्वारा कोई तात्कालिक आरोप या गम्भीर चोट का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त घटना के समय थाने पहुँचा था, परन्तु थाने ने भी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मुकदमा वादिनी के पति और प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य रोपन छपरा स्थित भूमि व सिवान (बिहार) स्थित भूमि को लेकर दीर्घकालीन से वादिनी के पति ने कब्जा कर रखा है। जबकि दोनों भूमि अभिलेखागार में प्रार्थी/अभियुक्त के एवं उसके पूर्वजों के नाम से दर्ज है। उक्त दोनों भूमि को हड़पने के उद्देश्य से वादिनी के पति लगातार उसको व उसके परिवार को झूठे मुकदमें में फसाने की कोशीश करता आ रहा है। उक्त मुकदमें में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं

बतायी गयी है। जब वादिनी मुकदमा के पति व बेटे द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को मारा-पीटा गया तथा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसका सी.सी.टी.वी. फुटेज है। घटना के समय किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टरी रिपोर्ट (M.L.C) तैयार नहीं हुआ, न ही कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध है जो एफ.आई.आर. के आरोप "ईंट से चोट लगने" की पुष्टि कर सकें। केवल भर्ती पर्ची में Suface injury व Left Hand Injury लिखा है। "ईंट से हाथ को कुचने" जैसा कोई लक्षण चिकित्सा रिपोर्ट में नहीं है जो एफ.आई.आर. की कहानी के बिल्कुल विपरीत है जो कथित आरोप से मेल नहीं खाता जबकि देवरिया अस्पताल से चोटईल को X-Ray Left Elbow-AP/LAT की सलाह दी गयी। Dislocation/Artery Injury का कोई उल्लेख नहीं है। ईंट से चोट लगने से हाथ कटने जैसा परिणाम सम्भव नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ईंट से कुचलना व धारदार हथियार से मारना कहा गया है, परन्तु घटनास्थल पे ईंट व किसी भी प्रकार का धारदार हथियार का पुलिस द्वारा बरामदगी का कोई उल्लेख नहीं है। चोट को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया आरोप चिकित्सकीय रुप से समर्थित नहीं है। Elbow Dislocation व Artery Injury उपचार में 6 से 10 घण्टे का R Golden Period अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। यदि सही समय पर उपचार मिल जाये तो हाथ काटना नहीं पड़ता। हाथ काटा जाना प्रार्थी/अभियुक्त की किसी हरकत का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं बल्कि वादिनी मुकदमा व उसके पति की लापरवाही व सही समय पर उपचार न कराना व उपचार में विलम्ब का परिणाम है। उक्त मुकदमे में कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है सभी साक्षी परिवार के ही लोग है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि-व्यवस्था अधरी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2005) 4 एस.सी.सी. 303 में यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी होता है। अभियुक्त से घटना के उद्देश्य की तैयारी, घटना से संबंधित अन्य व्यक्तियों की जानकारी, घटना के परिणाम आदि के संबंध में विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। विवेचना के बाधारहित अग्रसारित होने, साक्षी व पीड़ित व्यक्ति से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अभियुक्त की स्वतंत्रता का हनन अवश्य हो सकता है। उक्त सभी कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी विवेचना का आवश्यक अंग हो जाता है। न्यायालय को संज्ञेय अपराध की विवेचना व उसके संबंध में गिरफ्तारी में सामान्यतया हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अग्रिम जमानत कुछ सीमा तक अपराध की विवेचना में हस्तक्षेप करती है। अतः न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते

समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। यह असाधारण अनुतोष, असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

8. प्रस्तुत मामले की केस डायरी एवं थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या- 222/2025, धारा- 115(2),117(3),125, 352,126(2),351(2) भा.न्या.सं., थाना- लार, जनपद देवरिया के मामले में नामजद एवं वांछित है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ती, उसके पति एवं उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से मारने-पीटने एवं प्रथम सूचनाकर्ती के पति के हाथ पर ईंट से मार-मार कर गम्भीर चोट होने के कारण, हाथ का ऑपरेशन कर विभाजन किये जाने का कथन है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित तथ्यों से प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है। प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने से उसके द्वारा विवेचना में हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/ अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार इस स्तर पर विद्यमान नहीं है।

9. अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **बृजेश सिंह उर्फ छोटे उर्फ विजेन्द्र प्रताप सिंह** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

SD/-

(रवि यादव)

दिनांकः- 23.12.2025 **प्रभारी सत्र न्यायाधीश,**

देवरिया।